कार्यालयःजिलाधिकारी,लखनऊ

पत्र संख्या– 2424 / 8–अ0जि0अ0(भू0अ0),शा0सहा0परि0,लखनऊ, दिनांक– 23 जुलाई,2021

अधिसूचना

जनपद लखनऊ में ए0टी0एस0 कमाण्डो ट्रेनिंग सेन्टर,लखनऊ हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से पूर्व एस0आर0एशिया 4 एफ–सीएम 25 अंसल प्लाजा,बैशाली गाजियाबाद द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रस्तुत रिपोर्ट का मूल्यांकन कर स्वतंत्र बहु शाखीय विशेशज्ञ समूह द्वारा दि0 16–03–2020 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन सम्बन्धी विशेशज्ञ समूह की रिपोर्ट,विचार कर निर्णय हेतु पत्र सं0 2117 / 8–अ0जि0अ0 / शा0सहा0परि0,लखनऊ दि0 15.06.2020 द्वारा प्रमुख सचिव गृह उ0प्र0 शासन,लखनऊ को भेजा गया हैं। अतः संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0–1735 6–पु–7–2021–192 / 2008 दिनांक–16,जुलाई,,2021 द्वारा बहुशाखीय विशेशज्ञ समूह की सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए जिलाधिकारी लखनऊ को अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिया गया है। कोविड–19 सम्बन्धी कार्यो के कारण सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट पर निर्णय समय पर नही हो सका है।

अतएव भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्िता का अधिकार अधिनियम–2013 की धारा–14 मे दी गयी व्यवस्था के क्रम मे सम्यक विचारोपरान्त ए0टी0एस0 कमाण्डो ट्रेनिंग सेन्टर लखनऊ हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन के लिये अधिनियम की धारा–11 की अधिसूचना जारी करने हेतु छः मास बढाये जाने का निर्णय लिया गया है।

(अभिशेक प्रकाश),
जिलाधिकारी,
लखनऊ।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।
1– अपर मुख्य सचिव,पुलिस अनुभाग–7,उ0प्र0, ाासन,लखनऊ।
2– निदेशक भूमि अध्याप्ति निदेशालय,राजस्व परिशद,उ0प्र0,लखनऊ।
3– पुलिस महानिरीक्षक,आतंकवाद निरोधक दस्ता,(ए0टी0एस0)उ0प्र0,लखनऊ.।

जिलाधिकारी,
लखनऊ।